

अनुमति की शर्तें ।

1. यह अनुमति केवल साहायक नगर विभाग की सीमाओं के अन्दर ही लागू होगी ।
2. यह अनुमति केवल साहायक नगर विभाग के अधीन आने वाले क्षेत्रों के लिए ही लागू होगी ।
3. यह अनुमति केवल साहायक नगर विभाग के अधीन आने वाले क्षेत्रों के लिए ही लागू होगी ।
4. यह अनुमति केवल साहायक नगर विभाग के अधीन आने वाले क्षेत्रों के लिए ही लागू होगी ।

रामेश्वर विद्यालय के माध्यम से साहायक नगर विभाग के अधीन आने वाले क्षेत्रों के लिए अनुमति

साहायक नगर विभाग, जोधपुर

पी.पी.
साहायक

अनुमति क्रमांक 191 दिनांक 03/02/2020
राजेश्वर विद्यालय साहायक नगर विभाग के अधीन आने वाले क्षेत्रों के लिए अनुमति
पता 108 (7) (8) के तहत साहायक नगर विभाग के अधीन आने वाले क्षेत्रों के लिए अनुमति
कर स्वनिवेशन राशि रु. 7617/- (सात हजार छह सौ पचास रुपये) के तहत साहायक नगर विभाग के अधीन आने वाले क्षेत्रों के लिए अनुमति
दिनांक 03/02/2020 को जमा करा दी है ।

P.No: 18/343 साहायक नगर विभाग

03/02/2020

साहायक नगर विभाग
नगर विभाग, जोधपुर

Received
Roshni
(राजेश्वर)

मोबा → 9461253258
11/2/2020

